



कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135-2742884 फैक्स नं० 0135-2745691 ईमेल-cwlwua@yahoo.co.in

पत्र संख्या 702/12-1 देहरादून, दिनांक 22 सितम्बर 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसराना-किगोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3025 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/23731/2017)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 924/12-1 दिनांक 11.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के स्तर से जारी ई०डी०एस० क्वेरी की अनुपालन आख्या पर संदर्भित पत्र से दी गई संस्तुति के आधार पर संलग्न अनुपालन आख्या हस्ताक्षरित कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर मूल में प्रेषित की जाती है।

संलग्न :- यथोपरि।

02

भवदीय,

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) /
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

18/9/18

मार्ग का नाम:-

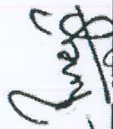
अनुपालन आख्या

विषय:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना-किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 39वीं, बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 39.5.1 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग थत्पूड़ द्वारा बिन्दु सं० 04 की अनुपालन आख्या निम्नप्रकार प्रेषित है:-

1. प्रस्तावक विभाग द्वारा पहाड कटान का कार्य Unscientific/अवैज्ञानिक तरीके से कार्य नहीं किया जायेगा, तथा मार्ग निर्माण में उत्तसर्जित मलवे का प्रस्ताव में चस्या मक डिस्पोजल प्लान के अनुसार निस्तारण किया जायेगा।
2. प्रस्तावित कार्य को वन्यजीव अभ्यारण क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षक की सहमति लेकर निश्चित समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा।
3. मार्ग निर्माण कार्य हेतु बिस्फोटक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
4. मसराना नामक स्थान पर दो मन्जिले भवन वन विभाग चौकी के निर्माण लागत की धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा लो०नि०वि०, की विभागीय दरों पर जमा कर दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
थत्पूड़ (टि०ग०)।


अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
थत्पूड़ (टि०ग०)।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड